Sh. Uday Kumar
Ch. Mgr

4/9/19

(सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-6(1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध/प्रार्थना पत्र)

सेवा में,

जनसूचना अधिकारी/सहायक जनसूचना अधिकारी,
कार्यालय महा प्रबन्धक महोदय
पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया
साहरनपुर (उ0प्र0)

1:-आवेदक का पूरा नाम:------- आस मौहम्मद

2:-पिता का नाम :------------स्व0 मौहम्मद इलियास

3:-पता:-ग्राम व पोस्ट-भैंसानी इस्लामपुर,तहसील व जिला-शामली,सब पोस्ट आफिस-थानाभवन-247777

4:-ई मेल पता यदि कोई हो:-कोई नहीं

5:-दूरभाष संख्या/मोबाईल नम्बर-9917343521

6:-मांगी गयी सूचना का ब्यौरा,(यदि आवश्यक हो तो पृथक से पृष्ठ संलग्न करें):पृथक से पृष्ठ संलग्न है।

7:-क्या वांछित सूचना व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतन्त्रता से सम्बन्धित है (हाँ/नही)। यदि हाँ तो उसका कारण -----हाँ,प्रार्थी के कृषि करने के मौलिक अधिकार से जुड़ी होने के कारण जीने के अधिकार से भी जुडी है।

8:-जमा की गयी फीस का विवरण:----पोस्टल आर्डर सं0-48-एफ-069611,अकंन-10 रूपये

(मांगे जाने पर अतिरिक्त शुल्क का भुगतान कर दिया जायेगा)

9:-क्या आवेदक गरीबी की रेखा से नीचे की श्रेणी का है (हाँ/नही)। यदि हाँ बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र संलग्न करें-------------नही

10:-संलग्नकों की सूची:-03 पृष्ट अतिरिक्त,(पोस्टल आईर-01,प्रारूप-02 का संलग्नक-02 पृष्ट),पोस्टल आईर और प्रार्थना पत्र सहित कुल पृष्टों की संख्या-04, पोस्टल आर्डर पृष्ट सं० - 3/2 पर है + पत्रांक 1028 04-12-2016
+1/05

11:-संलग्न अतिरिक्त पृष्ट मे मांगी गई सूचना यदि आपके कार्यालय से सम्बंधित नही है तो कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-6(3) के अर्न्तगत 05 दिन की अवधि मे इस प्रार्थना पत्र को संलग्नक पृष्ट सहित सम्बंधित जनसूचना अधिकारी को स्थानान्त्रित करने की कृपा भी करे।
स्थान------ भैसानी इस्लामपुर
दिनांक-----22.08.2019

आवेदक का नाम एवं पूर्ण हस्ताक्षर :-(आस मौहम्मद) आस मौहम्मद
दिनांक-22.08.2019

2/3

-:प्रारूप-2 का सलंग्नक:-

आदरणीय महोदय,

1:-कृपया, पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्ड़िया साहरनपुर (उ0प्र0) के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जारी किया गया सन्दर्भ संख्या-1028 दिनांकित-04.12.2016,**(छाया प्रति संलग्न है)**,का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें,जिसके द्वारा पावर ग्रिड के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ग्राम-भैंसानी इस्लामपुर,ब्लाक-थाना भवन,तहसील व जिला-शामली स्थित प्रार्थी के खसरा नम्बर-2244 क्षेत्रफल-2.6660 है0 मे लगाये गये पावर ग्रिड़ के टावर तथा बनाई गई 400 के0 वी0 देहरादून-बागपत/लीलो पारेषण लाईन के नीचे/आस-पास विद्यमान जिन्दा पेड़ों को काटने का आदेश दिया गया है। इस सम्बंध मे उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत पावर की पारेषण लाईन बनाने के लिये पेड़ों तथा क्षतिग्रस्त फसल की क्षतिपूर्ति तो पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंण्ड़िया साहरनपुर (उ0प्र0) द्वारा प्रार्थी को की गई है किन्तु प्रार्थी के उपरोक्त खसरा नम्बंर-2244 मे लगाये/बनाये गये विशालकाय लोहे के टावर के प्रयुक्त भूमि/अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर/क्षतिपूर्ति प्रार्थी को नही की गई है जबकि 400 के0 वी0 देहरादून-बागपत/लीलो पारेषण लाईन के कारण प्रार्थी के खसरा नम्बर-2244 के बाजारी मूल्य मे अत्याधिक ह्रास हुआ है और टावर/पारेषण लाईन के नीचे तथा आस-पास खेती करना भी असम्भव हो गया है। इस 400 के0 वी0 देहरादून-बागपत/लीलो पारेषण लाईन के लिये भूमि प्रयोग मे लेने पर जनपद बागपत मे प्रर्याप्त धनराशि क्षतिपर्ति हेतू प्रदान की गई है। पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्ड़िया साहरनपुर (उ0प्र0) **द्वारा प्रार्थी के खसरा नम्बर-2244 मे से भूमि प्रयोग मे लेने के बावजूद क्षतिपूर्ति न किया जाना संविधान के अनुच्छेद-14 के अर्न्तगत विधि के समक्ष समता और अनुच्छेद-31-क मे प्रदत्त प्रार्थी के कृषि करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।**

इस सम्बंध में निम्न सूचनाओं/प्रश्नो के उत्तर की आवश्यकता है।

1.1:-कृपया यह अवगत कराने की कृपा करें कि 400 के0 वी0 देहरादून-बागपत/लीलो पारेषण लाईन के निर्माण हेतू भारत/उ0प्र0 सरकार द्वारा किस तिथि को अनुमति/स्वीकृति प्रदान की गई थी।

1.2:- कृपया प्रश्नगत पारेषण लाईन के लिये भारत/उ0प्र0 सरकार द्वारा **प्रदत्त अनुमति/स्वीकृति एवं जारी विज्ञप्ति या अधिसूचना की प्रमाणित छाया प्रति प्रदान करने की कृपा करें।**

1.3:-प्रश्नगत पारेषण लाईन के लिये प्रार्थी की भूमि सहित अन्य प्रभावित सभी किसानों की भूमि पर विशालकाय लोहे के टावर बनाने का कार्य पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्ड़िया साहरनपुर (उ0प्र0) **के क्षेत्रार्न्तगत आपके अधीनस्थ अधिकारीगण/अभियन्ताओ द्वारा किस तिथि और किस सन् मे प्रारम्भ किया गया था? और किस तिथि मे टावर बनाने का कार्य पूर्ण किया गया ? तथा इसके लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेश एव टेण्डर की प्रमाणित छाया प्रति प्रदान करने की कृपा करें।**

1.4:-पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्ड़िया साहरनपुर (उ0प्र0) के क्षेत्रार्न्तगत प्रश्नगत पारेषण लाईन के लिये प्रार्थी की भूमि सहित अन्य प्रभावित सभी किसानों की भूमि पर विशालकाय लोहे के टावर बनाने हेतू भूमि प्रयोग मे लेने के लिये क्या प्रभावित कृषकों से कोई पूर्व और लिखित अनुमति प्राप्त की गई थी ? अथवा भूमि अधिग्रहीत करने के लिये किसी नियम/अधिनियम के अर्न्तगत कोई विज्ञप्ति जारी कराई गई थी ? **कृपया हॉं या ना में उत्तर दें।**

1.5:-पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्ड़िया साहरनपुर (उ0प्र0) के क्षेत्रार्न्तगत प्रश्नगत पारेषण लाईन के लिये प्रार्थी की भूमि सहित अन्य प्रभावित सभी किसानों की भूमि पर विशालकाय लोहे के टावर बनाने हेतू भूमि प्रयोग मे लेने/अधिग्रहीत करने के लिये क्या प्रभावित कृषकों को क्षतिपूर्ति/प्रतिकर के रूप मे कभी भी कोई धनराशि दी गई है ? **कृपया हॉं या ना में उत्तर दें।..................क्रमश:...............पृष्ट-2**

आस मोहम्मद

1/4

1.6:-यदि प्रश्न संख्या-1.5 का उत्तर हॉं मे है तो कृपया यह सूचना प्रदान करने की कृपा करें कि आपके क्षेत्रान्तर्गत प्रश्नगत मद मे कुल कितने ग्रामों के कुल कितने प्रभावित कृषकों को कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है?

2:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील योजित करने हेतू कृपया अपने कार्यालय के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के नाम,पदनाम एवं मोबाईल नम्बर से भी अवगत कराने की कृपा करें।

कृपया उपरोक्त सूचनाओं को 01 सप्ताह में प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्नक -यथोपरि।

आवेदक का नाम एवं पूर्ण हस्ताक्षर :-(आस मौहम्मद) आस मौहम्मद

दिनांक-22.08.2019

1028
/2-2016

75

अतिरिक्त पृष्ठ

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

महादेव कालोनी, बलियाखेड़ी ब्लॉक के सामने, दिल्ली रोड, सहारनपुर (उ० प्र०)

पावर ग्रिड

सन्दर्भ सं–सहारनपुर/वृक्ष/...............1028

दिनांक 04/12/16

श्री / श्रीमती [illegible] पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री [illegible]

ग्राम [illegible] पोस्ट [illegible] तहसील शामली जनपद शामली

विषय : 400 के.वी. देहरादून बागपत / लीलो पारेषण लाइन के मार्ग में पडने वाले वृक्षो को काटने के सम्बन्ध में (भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अन्तर्गत सूचना)

महोदय/महोदया,

इस पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आपके कुछ वृक्ष जिनका विवरण नीचे दिया गया है उपरोक्त पारेषण लाइन के रास्ते में आ रहे है। विद्युत सुरक्षा नियमों के अधीन (इण्डियन इलैक्ट्रीसिटी एक्ट 2003 (अद्यत संशोधित) एवं जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन वृक्षों को काटा जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर सम्बन्धित वन विभाग के कार्यालय से नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर निम्नलिखित वृक्षों को काट लें। पेड़ों का मुआवजा सम्बन्धित राजस्व/वन/उद्यान विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा। जिसका भुगतान तहसील द्वारा स्वामित्व सत्यापन के उपरान्त आपको पावरग्रिड द्वारा किया जायेगा।

वृक्षों का विवरण

क्र. सं.	लोकेशन नं.	खसरा नं.	वृक्ष की प्रजाति	वृक्षों की गोलाई (से.मी. में) एवं संख्या								अन्य विवरण
				1-31	32-63	63-94	94-126	126-157	157-189	189-220	220 >	
	58/6.1			0-30	31-50	51-75	76-89	90-100	101-130			
			[illegible]						1			
			पापुलर				2					1
			बेल		3	8	6					2
			शहतूत			2	2					17
						1	1					4
												2
												11
									Total =			26

मैं प्रमाणित करता हूँ कि नुकसान हुए वृक्षों का केवल मैं ही एकमात्र स्वामी हूं यदि इस पर कोई स्वामित्व विवाद होता है तो उसके लिये मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

पता सहित वृक्ष स्वामी के हस्ताक्षर Mob- 9917343521

....

....

....

पावर ग्रिड प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्रतिलिपि :
1. सम्बन्धित काश्तकार
2. तहसीलदार ....
3. प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सहारनपुर / मुजफ्फरनगर

27500
55000
32000
114500

32000
55000
7500
94500

1028
12-2016

75

सेवा में, रामपुर रजिस्टर्ड

सहायक जनसूचनाधिकारी / जनसूचनाधिकारी
कार्यालय महाप्रबन्धक महोदय मोनपुर रामपुर
पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया रामपुर
सहारनपुर - 247001

2.1.2019 ....

RU460177788IN

आस मौहम्मद s/o स्व: श्री मौ० इलियास
ग्राम व पोस्ट - भैंसानी इस्लामपुर
सब पोस्ट ऑफिस - थाना भवन
तहसील व जिला - शामली (उ०प्र०)
पिन - 247777